भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2251
मंगलवार, 14 मार्च, 2023/23 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तरार्थ

कृषि क्षेत्र में सहकारी योजनाओं को सुदृढ़ बनाना

†2251. श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र में मौजूदा सहकारी योजनाओं को सुदृढ़ बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केंद्र सरकार कृषि में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय उन्नत पद्धतियों के उपयोग हेतु नई सहकारी योजनाएं बनाने पर भी विचार कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं पर खर्च की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने, देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने, देश भर में कृषि सेक्टर सहित विभिन्न सेक्टरों में सहकारी परितंत्र के संवर्धन के लिए सहकारिता मंत्रालय ने निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए हैं:

1. <u>पैक्स का कंप्यूटरीकरण:</u> 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स को एक ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है ।

2. <u>पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां:</u> पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों के प्रापण, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसी 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करने के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए परिचालित किया गया ।

3. <u>कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स:</u> पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार, गांव स्तर पर ई-सेवा प्रदान करने व रोज़गार सृजन के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया ।

4. <u>राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:</u> नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों की मदद के लिए देश के सभी सेक्टरों की सहकारी समितियों के प्रमाणिक और अद्यतित डाटा भंडार हेतु एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाया जा रहा है ।

5. <u>प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समिति की स्थापना</u>: सरकार द्वारा विभिन्न मौजूदा योजनाओं का लाभ लेकर आगामी पांच वर्षों में 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना अनुमोदित की गई है ।

6. <u>राष्ट्रीय सहकारी नीति:</u> सक्षम परितंत्र सृजित करके ना को की परिकल्प 'सहकार से समृद्धि' साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों को र की समिति का गठन किया गया ।य स्तशामिल करके एक राष्ट्री

7. <u>बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन:</u> सत्तानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने व निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रशासित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने हेतु संसद में विधेयक पुर:स्थापित किया गया ।

8. <u>राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम:</u> एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'यंशक्ति सहकारस्व'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए नील ' और मात्स्यिकी के लिए 'डेयरी सहकार' आरंभ की गई है । वित्तीय वर्ष 'सहकार2021-22 में एनसीडीसी ने 34,221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया ।

9. <u>क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान:</u> गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके ।

10. <u>जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर के रूप में शामिल 'क्रेता':</u> जेम पर सहकारी समितियों को के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे किफायती खरीद और पारदर्शिता के 'क्रेता' साथ वे लगभग40 लाख विक्रेताओं से माल व सेवा की खरीद कर सकेंगे ।

11. <u>सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती:</u> 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

12. <u>न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती</u>: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है ।

13. <u>आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत राहत</u>: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत सहकारी समितियों द्वारा किए गए नकद लेनदेन पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है ।

14. <u>नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर को कम करना:</u> केन्द्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगाने की घोषणा की गई है ।

15. <u>पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी:</u> केन्द्रीय बजट 2023-24 में पैक्स तथा प्राथमिक

सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य करने की घोषणा की गई है ।

16. स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: केन्द्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है ।

17. चीनी सहकारी मिलों को राहत: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

18. चीनी सहकारी मिलों के पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान: केन्द्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी ।

19. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जा रही है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगा ।

20. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी जैविक समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन करेगा ।

21. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगा ।

(घ): सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी योजना (CSISAC) का कार्यान्वियन मार्च, 2023 तक कर रहा है । केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी योजना में निम्नलिखित घटक हैं: -

i. सहकारी समितियों के विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कमजोर वर्ग कार्यक्रमों तथा राज्य सहकारी संघों को सशक्त करने के लिए तकनीकी व संवर्धन (T&P) प्रकोष्ठ योजना, आदि ।

ii. जिनिंग एवं प्रेसिंग सहित कपास विकास के लिए सहायता तथा नई सहकारी स्पिनिंग मिलों की स्थापना व मौजूदा सहकारी स्पिनिंग मिलों की आधुनिकिकरण/विस्तार/पुनर्वास ।

iii. चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं (ICDP) ।

केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी योजना (CSISAC) के तहत विगत पांच वर्षों के दौरान व्यय की गई निधि का ब्यौरा अनुबंध पर संलग्न है ।

****

अनुबंध

केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारी परियोजना (CSISAC) के तहत संवितरण

(लाख रुपए)

राज्यों के नाम	**2017-18**	**2018-19**	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**	**2022-2023 (02.03.2023 की स्थिति के अनुसार)**
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	-	70	-	-	-
आंध्र प्रदेश	2105	434	531	2893	257	2476
अरुणाचल प्रदेश	466	114	169	144	-	-
असम	109	292	398	155	92	115
बिहार	3052	1529	913	2232	5686	4082
छत्तीसगढ़	31	4	35	-	37	12
गोवा	4	-	2	4	-	-
गुजरात	547	2164	1003	585	30	-
हरियाणा	83	12	16	9	211	97
हिमाचल प्रदेश	533	1739	242	645	201	50
झारखंड	162	83	483	70	92	257
कर्नाटक	262	71	252	34	-	-
केरल	1084	176	399	798	865	1319
मध्य प्रदेश	420	876	521	630	530	446
महाराष्ट्र	564	110	1037	5529	191	248
मेघालय	-	1347	-	1346	-	-
मिज़ोरम	315	-	-	61	23	69
नागालैंड	844	399	388	179	-	20
ओडिशा	212	32	37	16	13	-
राजस्थान	2132	647	803	2572	717	65
तमिल नाडु	1487	-	301	460	376	122
तेलंगाना	3688	1148	1513	5477	10138	15191
त्रिपुरा	-	-	-	201	90	345
उत्तर प्रदेश	147	237	440	880	1146	584
उत्तराखंड	82	83	803	1712	683	-
पश्चिम बंगाल	754	632	1243	3683	4356	1578
अन्य	185	431	107	27	68	-
कुल	**19,103**	**12,129**	**11,599**	**30,315**	**25,734**	**27,076**

****